मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

//आवश्यक सूचना//

क्र0–1019/परीक्षा/2018 जबलपुर, दिनांक–19/03/2018

म0प्र0 के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों, वाहन चालक/ भृत्य/चौकीदार/जलवाहक/माली/स्वीपर (कलेक्टर रेट) प्रवर्ग की सीधी भर्ती/नियुक्ति–2017 मुख्य साक्षात्कार हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :–

1. साक्षात्कार हेतु सफल पाए गये अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में संपूर्ण जानकारी भरकर जिसका प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है, के साथ स्वप्रमाणित संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतिलिपियाँ, संलग्न कर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिस जिले हेतु आपने आवेदन किया था एवं स्क्रीनिंग परीक्षा दी थी) के नाम से संबोधित करते हुए, दिनांक–09/04/2018 (सोमवार) तक व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर देवें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों एवं अपूर्ण आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही पोस्टल विलंब क्यों न हो और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं रहेगी।
2. प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक आवेदन पत्र, 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी केटेगरी सहित लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन–पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजना आवश्यक नहीं हैं।
3. संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जावेगी व उसी जिला न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी। पात्र अभ्यर्थियों को मुख्य साक्षात्कार हेतु प्रवेश–पत्र एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से जारी किये जावेंगे।
4. मुख्य साक्षात्कार की तिथि शीघ्र ही वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दी जावेगी, उपरोक्त संबंध में परीक्षा सेल में दूरभाष पर चर्चा किया जाना या व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाना अयोग्यता माना जावेगा।

19.03.18

(उमेश कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार (परीक्षा)

Scanned by CamScanner